NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 17-01-2025

विषय सूची

भारत का जनसांख्यिकीय परिवर्तन

वैवाहिक अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय

राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण (NAKSHA)

भारत, विश्व व्यापार संगठन और किसानों की चिंताएँ

शांति पहल की महान वर्षगांठ

संक्षिप्त समाचार

जल्लीकट्टू महोत्सव

मूसी नदी

हाइड्रोक्लाइमेट व्हिपलैश

आठवाँ वेतन आयोग

फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ख़ विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम (FTI-TTP)

मोटापे की नई परिभाषा (New Definition for Obesity)

डेटा एंबेसी

QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025

ब्याज समतुल्यीकरण योजना (Interest Equalisation Scheme)

SpaceX ने चंद्रमा की ओर दो चंद्र लैंडर प्रमोचन किया

अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी

स्वामित्व (SVAMITVA) योजना

न्यू ग्लेन रॉकेट

भारत का जनसांख्यिकीय परिवर्तन

संदर्भ

- मैकिन्से एंड कंपनी की एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत एक महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बिंदु पर है। 2050 के दशक तक, भारत का समर्थन अनुपात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बराबर होने की संभावना है, जो इसकी जनसंख्या की तीव्रता से बढ़ती उम्र को दर्शाता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **आर्थिक विकास पर प्रभाव:** भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश ने 1997 से 2023 तक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में प्रति वर्ष 0.7 प्रतिशत अंक का योगदान दिया।
  - वर्ष 2050 तक, यह योगदान घटकर मात्र 0.2 प्रतिशत अंक प्रति वर्ष रह जाने की संभावना है, जो युवा जनसंख्या के घटते लाभ को दर्शाता है।
- **बढ़ता निर्भरता अनुपात:** 1997 में, भारत में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए 14 कामकाजी आयु के लोग (15-64 वर्ष) थे।
  - वर्ष 2050 तक, यह घटकर प्रति वरिष्ठ नागरिक 4.6 कर्मचारी रह जाएगा, और वर्ष 2100 तक, यह घटकर प्रति वरिष्ठ नागरिक 1.9 कर्मचारी रह जाएगा, जो आज जापान के समान है।
- **महिला श्रम बल भागीदारी:** भारत में 20-49 आयु वर्ग में महिला श्रम बल भागीदारी मात्र 29% है, जबकि अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में यह 50-70% और उच्च आय वाले देशों में 74% है।
  - आर्थिक परिणामों को कम करने के लिए महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाना एक प्रमुख अनुशंसा है।
- **प्रजनन दर और जनसंख्या प्रवृति:** भारत की प्रजनन दर प्रति महिला 1.98 बच्चे है, जो प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है।
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2061 में 1.7 बिलियन तक पहुँच जाएगी, जिसके बाद इसमें गिरावट आएगी।
  - सदी के अंत तक, भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी।
- **अनुशंसा:** भारत जनसांख्यिकीय बदलाव के नकारात्मक आर्थिक परिणामों को विलंबित करने का एक तरीका महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ाना है।

भारत की वृद्ध जनसंख्या के आँकड़े

- इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का भाग 2022 में 10.5% से बढ़कर 2050 में 20.8% होने की सम्भावना है।
  - सदी के अंत तक, देश की कुल जनसंख्या में बुजुर्गों की संख्या 36% से अधिक होगी।
- **80+ वर्ष की जनसंख्या:** 80+ वर्ष की आयु के लोगों की जनसंख्या 2022 और 2050 के बीच लगभग 279% की दर से बढ़ेगी, जिसमें विधवा और अत्यधिक आश्रित बहुत बूढ़ी महिलाओं की संख्या अधिक होगी।

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश

- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** यह आर्थिक विकास की संभावना को संदर्भित करता है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप होता है, मुख्य रूप से तब जब कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या (15 से 64 वर्ष) का हिस्सा गैर-कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या (14 या उससे कम और 65 या उससे अधिक) से बड़ा होता है।
    - आयु संरचना में परिवर्तन सामान्यतः प्रजनन और मृत्यु दर में गिरावट के कारण होता है।
- **भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश:** भारत अपनी बड़ी और युवा जनसंख्या के साथ वर्तमान में जनसांख्यिकीय लाभांश का अनुभव कर रहा है। भारत में 2020 और 2050 के बीच कार्यशील आयु वर्ग में 183 मिलियन और लोगों के जुड़ने की संभावना है। लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होगा (जब कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 59 प्रतिशत होगी) और 2055 तक रहने की संभावना है।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- **बेरोज़गारी:** जनसांख्यिकीय लाभांश के कार्य करने के लिए, देश को प्रत्येक वर्ष श्रमबल में शामिल होने वाले 7-8 मिलियन युवाओं को उत्पादक रोज़गार प्रदान करना होगा।
    - 2000 में युवा बेरोज़गारी 5.7% थी और 2019 में बढ़कर 17.5% हो गई, जो 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाती है।
    - 2022 में, स्नातकों के बीच बेरोज़गारी दर लगभग 29% थी, जबकि जो लोग पढ़ और लिख नहीं सकते, उनके लिए यह केवल 3.4% थी।
- **शिक्षा और कौशल अंतर:** देश के दो-पांचवें से अधिक युवा माध्यमिक स्तर से नीचे शिक्षित हैं और केवल 4% के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच है।
- **लैंगिक असमानता:** कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जो अर्थव्यवस्था की समग्र क्षमता को सीमित करती है।

उपाय

- **कौशल विकास:** कौशल भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य लाखों युवाओं को प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी रोजगार क्षमता बढ़े।
- **शिक्षा सुधार:** नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास।
- **मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत:** ये पहल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और बढ़ते कार्यबल को अवशोषित करने के लिए औद्योगिक क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित हैं।
- **स्टार्ट-अप इकोसिस्टम:** स्टार्टअप इंडिया अभियान उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है, युवा इनोवेटर्स को सहायता प्रदान करता है और नए रोजगार के अवसर सृजित करता है।
- **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर:** डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल साक्षरता का विस्तार करना ताकि युवाओं के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्षेत्रों में अवसर सृजित किए जा सकें।

- **स्वास्थ्य सेवा में सुधार:** आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और परिणामों में सुधार करना है।

आगे की राह

- विकसित देश बहुत पहले ही इस क्षेत्र को पार कर चुके हैं, जिसने उनकी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित की।
  - वर्तमान में, वे "जनसंख्या वृद्धावस्था" के चरण में हैं और प्रवासियों पर तेजी से निर्भर हैं।
- भारत सहित विकासशील और गरीब देशों में विश्व की 90% से अधिक युवा जनसंख्या रहती है।
- लेकिन अगर वे रोजगार सृजन नहीं कर पाते हैं, तो यह न केवल इस लाभांश की हानि है, बल्कि आर्थिक स्थिरता का एक बड़ा मुद्दा भी है।
- इसके अलावा, उत्पादक व्यवसायों या व्यस्तताओं के बिना युवा लोगों की इतनी बड़ी जनसंख्या सामाजिक अशांति उत्पन्न करेगी।

Source: ET

वैवाहिक अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय

समाचार में

- उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना (धारा 9, हिंदू विवाह अधिनियम) और भरण-पोषण (धारा 125, CrPC) से संबंधित कार्यवाही स्वतंत्र हैं और आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं।
  - अगर पत्नी वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए न्यायालय के आदेश का पालन करने से मना करती है, तो भी पति को अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

वैवाहिक अधिकार क्या हैं?

- वैवाहिक अधिकार कानूनी अधिकार हैं जो विवाह से उत्पन्न होते हैं, जो पति-पत्नी को एक साथ रहने और एक-दूसरे की संगति और समाज का आनंद लेने का अधिकार देते हैं।
- इन अधिकारों को व्यक्तिगत कानूनों और भरण-पोषण और गुजारा भत्ता से संबंधित आपराधिक कानून प्रावधानों दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त है और लागू किया जाता है।

वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना

- एक कानूनी उपाय जो पीड़ित पति या पत्नी को दूसरे पति या पत्नी को सहवास फिर से प्रारंभ करने का निर्देश देने के लिए न्यायालय से आदेश लेने की अनुमति देता है।
- इसका उद्देश्य सुलह को प्रोत्साहित करके विवाहों के टूटने को रोकना है।

वैवाहिक अधिकारों की कानूनी मान्यता

- वैवाहिक अधिकारों को व्यक्तिगत कानूनों में संहिताबद्ध किया गया है जो विवाह और पारिवारिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं:
  - **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955:** धारा 9 पति या पत्नी को वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति देती है, यदि दूसरा पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने समाज से अलग हो जाता है।

- **मुस्लिम पर्सनल लॉ:** वैवाहिक अधिकारों को मान्यता देता है और पुनर्स्थापना के लिए याचिका दायर करने की अनुमति देता है।
- **ईसाई कानून (तलाक अधिनियम, 1869):** ईसाई विवाहों के लिए समान प्रावधान प्रदान करता है।

- **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125:** ऐसे पति या पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने की आवश्यकता होती है जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, ताकि वैवाहिक अधिकारों की पूर्ति न होने पर भी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

न्यायिक व्याख्याएँ

- **टी. सरिता बनाम टी. वेंकट सुब्बैया (1983):** आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को असंवैधानिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला करार देते हुए इसे रद्द कर दिया।
- **सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा (1984):** उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को परिवर्तित करते हुए कहा कि यह प्रावधान वैवाहिक कलह को रोकने में सहायता करके एक सामाजिक उद्देश्य पूरा करता है।

आलोचना और चुनौतियाँ

- **निजता का उल्लंघन:** आलोचकों का तर्क है कि सहवास के लिए बाध्य करना निजता और शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- **दुरुपयोग की संभावना:** इस प्रावधान का उपयोग अलग हुए पति-पत्नी, विशेषकर महिलाओं को संभावित रूप से अपमानजनक रिश्तों में वापस लौटने के लिए मजबूर करने के लिए किया जा सकता है।
- **पितृसत्तात्मक आधार:** कुछ लोग इसे पितृसत्तात्मक मानदंडों के अवशेष के रूप में देखते हैं जो पति-पत्नी (विशेषकर महिलाओं) को उनके भागीदारों की संपत्ति मानते हैं।

Source: TH

राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण (NAKSHA)

संदर्भ

- हाल ही में सरकार ने एक पायलट परियोजना, राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण (NAKSHA) का शुभारंभ किया।

परिचय

- 2024-25 के बजट में घोषित किया गया।
- **उद्देश्य:** रिकॉर्ड रखने का मानकीकरण, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और भूमि लेनदेन में पारदर्शिता लाना।
- **बजट:** पहले चरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये।
- **विशेषताएँ:**
  - आगामी वर्ष में देश भर के 150 शहरों में अद्यतन डिजिटल भूमि रिकॉर्ड बनाना।

- प्रत्येक भूमि पार्सल को भूमि के मालिक और उस पर विकास के प्रकार के विवरण के साथ जोड़ना।
- 5 वर्षों की अवधि के अंदर देश के पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करना।

- **पृष्ठभूमि:** 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2030 तक भारत की लगभग 40% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहने की संभावना है।
  - शहरों के नियोजित विकास के लिए भूमि और संपत्ति रिकॉर्ड प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है।
  - कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ ही राज्यों में शहरी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन की व्यवस्था है।
  - कई एजेंसियों की भागीदारी के कारण अधिकांश शहरों में पुराने भूमि रिकॉर्ड हैं।
- **अन्य पहल:** केंद्र सरकार की दो महत्त्वपूर्ण योजनाओं - डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) और गाँवों का सर्वेक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (SVAMITVA) योजना का सफल कार्यान्वयन हुआ है।
  - इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पार्सल और आवासीय क्षेत्रों के लिए भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना था।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की आवश्यकता

- यह विवादों, धोखाधड़ी और अकुशल मैनुअल प्रक्रियाओं जैसी पारंपरिक चुनौतियों का समाधान करके भूमि प्रबंधन को परिवर्तित कर देगा।
- स्वामित्व संबंधी जानकारी ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध अतिक्रमण कम होंगे।
- यह विवाद समाधान को सरल बनाता है, न्यायालयी भार को कम करता है और भूमि अधिकारों तक पहुँच में सुधार करके हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाता है।
- भू-स्थानिक मानचित्रण के साथ एकीकरण भूमि प्रबंधन को बढ़ाता है, जिससे सटीक सर्वेक्षण और योजना बनाना संभव होता है।
- भूमि अधिग्रहण या आपदाओं के दौरान, डिजिटल रिकॉर्ड उचित और समय पर मुआवज़ा सुनिश्चित करते हैं।

DILRMP के अंतर्गत उपलब्धियाँ

- आधुनिक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए 2016 में इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
- **उपलब्धियाँ:**
  - लगभग 95% भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।
  - राष्ट्रीय स्तर पर कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण 68.02% तक पहुँच गया है।
  - 87% उप-पंजीयक कार्यालयों को भूमि अभिलेखों के साथ एकीकृत किया गया है।

निष्कर्ष

- भारत भूमि प्रशासन में एक परिवर्तनकारी बदलाव देख रहा है, जो भूमि संबंधी जानकारी की पारदर्शिता और पहुँच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- यह परिवर्तन हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें स्वामित्व के सुरक्षित और सुलभ प्रमाण के साथ सशक्त बनाता है।
- जैसे-जैसे भूमि रिकॉर्ड स्पष्ट एवं अधिक सुलभ होते जाते हैं, वे अधिक समावेशी और समतावादी समाज का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

Source: TP

भारत, विश्व व्यापार संगठन और किसानों की चिंताएँ

संदर्भ

- पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए विश्व व्यापार संगठन (WTO) से भारत के हटने और कृषि समझौते (AoA) के अंतर्गत सभी मुक्त व्यापार समझौतों को निलंबित करने की माँग की है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के संबंध में:

- **WTO क्या है?**
  - विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार नियमों को नियंत्रित करता है और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् स्थापित टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) का उत्तराधिकारी है।
  - **स्थापना:** 1994 में मारकेश समझौते के माध्यम से, 123 संस्थापक देशों के साथ।
  - भारत की सदस्यता: 1 जनवरी, 1995 से।
- **वर्तमान सदस्यता:**
  - 164 सदस्य (EU सहित) और 23 पर्यवेक्षक सरकारें (जैसे, इराक, ईरान, भूटान और लीबिया)।
- **विश्व व्यापार संगठन का महत्त्व:**
  - समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार को सुगम बनाता है।
  - व्यापार विवादों में मध्यस्थता करता है।
  - वैश्विक व्यापार के साथ एकीकरण में विकासशील देशों का समर्थन करता है।

कृषि पर समझौता(AoA)

- **उद्देश्य:**
  - निष्पक्ष, बाजार-उन्मुख प्रणाली के लिए कृषि व्यापार में सुधार।
  - आयात और निर्यात करने वाले देशों के लिए स्थिरता और पूर्वानुमान को बढ़ाना।
- **दायरा:**
  - बुनियादी कृषि उत्पादों, प्रसंस्कृत उत्पादों, वाइन, स्पिरिट्स, तम्बाकू और कपास जैसे रेशों को शामिल करता है।
- **AoA के स्तंभ:**
  - **बाजार पहुंच:** टैरिफ जैसे व्यापार प्रतिबंधों को हटाना।

- **घरेलू समर्थन:** सब्सिडी जो व्यापार को विकृत करती है, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स में वर्गीकृत।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धा:** निर्यात सब्सिडी का विनियमन।

- **WTO सब्सिडी श्रेणियाँ:**
  - **एम्बर बॉक्स:** व्यापार-विकृत करने वाली सब्सिडी, कटौती के अधीन।
  - **ब्लू बॉक्स:** उत्पादन सीमाओं से जुड़ी न्यूनतम व्यापार-विकृत करने वाली सब्सिडी।
  - **ग्रीन बॉक्स:** बिना सीमा के अनुमत गैर-व्यापार-विकृत करने वाली सब्सिडी।
  - **डी मिनिमिस क्लॉज(De Minimis Clause):** विकासशील देश कृषि उत्पादन मूल्य के 10% तक एम्बर बॉक्स सब्सिडी बनाए रख सकते हैं।

भारतीय किसानों द्वारा उठाई गई चिंताएँ

- **भारतीय कृषि पर प्रभाव:** AoA विकसित देशों को अनुपातहीन रूप से प्राथमिकता देता है, जिससे छोटे भारतीय किसानों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है।
- **सब्सिडी में कमी और बढ़ती इनपुट लागत:** WTO ने भारत की सब्सिडी को कृषि उत्पादन के 10% तक सीमित कर दिया है, जिससे उर्वरकों और बीजों जैसे इनपुट की बढ़ती लागत के बीच किसानों के लिए समर्थन सीमित हो गया है।
- **सस्ते आयातों की डंपिंग:** विकसित देशों के सब्सिडी वाले कृषि निर्यात भारतीय बाजारों में भर जाते हैं, जिससे घरेलू कीमतें कम होती हैं और स्थानीय किसान प्रभावित होते हैं।
- **खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** AoA नियम खाद्य आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण सब्सिडी को सीमित करते हैं, जिससे आयात पर अधिक निर्भरता का जोखिम होता है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की भूमिका:** WTO MSP से जुड़ी सब्सिडी को व्यापार-विकृत करने वाला मानता है, जो किसान कल्याण और खाद्य सुरक्षा के लिए भारत की MSP प्रणाली के लिए एक संभावित चुनौती प्रस्तुत करता है।

विश्व व्यापार संगठन के समक्ष अन्य प्रमुख चुनौतियाँ

- **विवाद निपटान तंत्र:** भारत प्रायः शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों के रूप में व्यापार विवादों का सामना करता है।
- **एकतरफा संरक्षणवादी उपाय:** विकसित देश प्रायः ऐसे उपायों का सहारा लेते हैं, जिससे बहुपक्षीय समझौतों को हानि होती है।
- **'विकासशील देश' की परिभाषा:** WTO में भारत और चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ विकासशील देशों के रूप में शामिल हैं, जिससे अतिरिक्त दबाव उत्पन्न होता है।
- **सब्सिडी और मत्स्य पालन:** कृषि और मत्स्य पालन में सब्सिडी कम करने के लिए WTO का दबाव भारत के आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ टकराव करता है।
- **पीस क्लॉज़:** संरक्षित सब्सिडी कार्यक्रम 2013 से पहले प्रारंभ हुए थे, लेकिन भारत की उभरती आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हैं।

विश्व व्यापार संगठन में सुधार के लिए भारत का दृष्टिकोण

- **बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना:**
  - यह सुनिश्चित करना कि सभी सदस्य देशों, न कि केवल प्रमुख व्यापारिक ब्लॉकों, को निर्णय लेने में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
- **नए व्यापार मुद्दों को संबोधित करना:**
  - डिजिटल व्यापार, डेटा शासन और स्थिरता के लिए रूपरेखा विकसित करना।
- **विवाद निपटान तंत्र को मजबूत करना:**
  - निष्पक्ष और पूर्वानुमानित व्यापार समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यात्मक अपीलीय निकायका समर्थन करना।
- **कृषि-विशिष्ट सुधार:**
  - विशेष सुरक्षा तंत्र।
  - खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग।
  - सब्सिडी का उचित उपचार।

निष्कर्ष

- भारत का WTO के साथ संबंध उसकी विकास संबंधी प्राथमिकताओं की रक्षा करने और वैश्विक व्यापार में भागीदारी के मध्य एक नाजुक संतुलन को दर्शाता है। जबकि AoA जैसे WTO समझौते महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, भारत का सक्रिय दृष्टिकोण और न्यायसंगत सुधारों का आह्वान एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यापार ढाँचे को आकार देने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- किसानों की चिंताओं को दूर करना, खाद्य सुरक्षा की रक्षा करना और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण होगा क्योंकि भारत वैश्विक क्षेत्र में अपने हितों का समर्थन करना जारी रखेगा।

Source: IE

शांति पहल की महान वर्षगांठ

संदर्भ

- वर्ष 2025 विश्व के प्रथम परमाणु हथियार परीक्षण की 80वीं वर्षगांठ होगी, जो ऐतिहासिक शांति पहलों के महत्त्व तथा वैश्विक निरस्त्रीकरण एवं सहयोग पर उनके स्थायी प्रभाव को प्रकट करेगा।

परमाणु हथियारों के खतरे

- परमाणु हथियारों के विनाशकारी परिणाम प्रथम बार 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के दौरान देखे गए थे।
  - इससे विकिरण के संपर्क में आने के कारण 200,000 से अधिक मृत्यु और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ हुईं।
- शीत युद्ध के दौरान हथियारों की दौड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे परमाणु प्रसार वैश्विक संघर्षों को बढ़ा सकता है, पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश (MAD) के खतरे के साथ प्रत्यक्ष युद्ध को रोकता है लेकिन भय को बनाए रखता है।

- परमाणु युद्ध "**न्यूक्लियर विंटर**" को ट्रिगर कर सकता है, जहाँ कालिख और मलबा सूरज की रोशनी को अवरुद्ध करता है, वैश्विक कृषि को बाधित करता है और बड़े पैमाने पर भुखमरी का खतरा उत्पन्न करता है।
- मानवीय त्रुटि, तकनीकी खराबी या साइबर हमले अनपेक्षित परमाणु विस्फोटों को ट्रिगर कर सकते हैं।
- क्यूबा मिसाइल संकट (1962) जैसी ऐतिहासिक घटनाएँ दर्शाती हैं कि गलतफहमी और गलत अनुमानों के कारण मानवता विनाशकारी परिणामों के कितने करीब आ गई है।

विश्व में परमाणु शक्तियाँ

- नौ देशों को परमाणु हथियार से संपन्न राष्ट्र माना जाता है।
- इन देशों को प्रायः "परमाणु-सशस्त्र राज्य" या "परमाणु शक्तियाँ" कहा जाता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इज़राइल।

परमाणु निरस्त्रीकरण क्या है?

- निरस्त्रीकरण से तात्पर्य हथियारों (विशेष रूप से आक्रामक हथियारों) को एकतरफा या पारस्परिक रूप से नष्ट करने या समाप्त करने के कार्य से है।
- इसका तात्पर्य या तो हथियारों की संख्या को कम करना हो सकता है, या हथियारों की पूरी श्रेणियों को समाप्त करना हो सकता है।

रसेल-आइंस्टीन घोषणापत्र

- वैश्विक शांति समर्थन में एक महत्त्वपूर्ण पहल, रसेल-आइंस्टीन घोषणापत्र 1955 में जारी किया गया था।
- दार्शनिक बर्ट्रेंड रसेल और भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन के नेतृत्व में, घोषणापत्र ने परमाणु हथियारों से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरे पर प्रकाश डाला।
- दस्तावेज़ ने विश्व के नेताओं से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की खोज करने का आग्रह किया और परमाणु विध्वंस को रोकने में वैज्ञानिक समुदाय की नैतिक जिम्मेदारी पर बल दिया।

अवाडी संकल्प

- 1955 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अवाडी प्रस्ताव पारित किया, जिसमें परमाणु निरस्त्रीकरण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया।
- जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग से इस मामले को उठाने का आह्वान किया, तथा परमाणु हथियारों के पूर्ण निषेध के लिए वैश्विक सहमति बनाने का आग्रह किया।

शांति और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका

- अवाडी संकल्प को परमाणु हथियार मुक्त एवं हिंसा मुक्त विश्व व्यवस्था (1988) के लिए राजीव गांधी कार्य योजना में प्रतिध्वनित किया गया था, जिसमें वैश्विक निरस्त्रीकरण की दिशा में एक क्रमबद्ध दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया था।
- **परमाणु अप्रसार संधि (NPT), 1968:** भारत ने इसका विरोध किया, इसकी असमान प्रकृति का उदाहरण देते हुए क्योंकि यह वर्तमान परमाणु शक्तियों को अपने शस्त्रागार को बनाए रखने की अनुमति देता है जबकि दूसरों को उन्हें प्राप्त करने से रोकता है।

- **व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT), 1996:** भारत ने यह तर्क देते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह परमाणु-सशस्त्र राज्यों के लिए निरस्त्रीकरण सुनिश्चित नहीं करता है।
- भारत ने अपने परमाणु परीक्षणों के पश्चात् 1998 में नो फर्स्ट यूज (NFU) की नीति अपनाई।

आगे की राह

- **बहुपक्षवाद को मजबूत करना:** संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए भारत का समर्थन निरस्त्रीकरण प्रयासों को अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाने में सहायता कर सकती है।
- **AI और साइबर सुरक्षा:** भारत को परमाणु हथियारों तक पहुँचने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए साइबर प्रौद्योगिकी के उपयोग को रोकने पर वैश्विक चर्चाओं का नेतृत्व करना चाहिए।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

जल्लीकट्टू महोत्सव

समाचार में

- तमिलनाडु में जल्लीकट्टू एवं अन्य बैल से संबंधित खेलों जैसे **एरुथट्टम और मंजुविरट्टू** के दौरान छह लोगों की मृत्यु हो गई।

जल्लीकट्टू महोत्सव का परिचय

- **संक्षिप्त विवरण:** जल्लीकट्टू तमिल फसल उत्सव **पोंगल** के दौरान आयोजित होने वाला एक पारंपरिक बैल-वशीकरण खेल है।
  - यह **मदुरै, पुदुकोट्टई, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर** जैसे जिलों में सबसे प्रमुख है।
- **नाम और अर्थ: "जल्लीकट्टू" शब्द दो तमिल शब्दों से मिलकर बना है:**
  - **जल्ली:** चांदी या सोने के सिक्कों को संदर्भित करता है।
  - **कट्टू:** इसका तात्पर्य है बंधा हुआ।
- सिक्के बैल के सींग पर बाँधे जाते हैं, और जो प्रतिभागी बैल को वश में कर लेते हैं, वे पुरस्कार जीतते हैं।
- **ऐतिहासिक उत्पत्ति:** यह खेल लगभग 2000 वर्ष पुराना है, जिसके प्रमाण 400-100 ईसा पूर्व के हैं।
  - इसे मूल रूप से दक्षिण भारत के एक **जातीय समूह अयार** द्वारा खेला जाता था।
- **खेल विवरण:** प्रतिभागी बैल की कूबड़ को पकड़ने या उसे रोकने के लिए उसके साथ दौड़ने की कोशिश करते हैं।
  - जल्लीकट्टू के लिए उपयोग किए जाने वाले बैलों में **पुलिकुलम या कंगायम नस्लें** सम्मिलित हैं, जिन्हें प्रजनन के लिए भी महत्त्व दिया जाता है।
  - सफल बैलों को बाजार में बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है।

- **न्यायपालिका का दृष्टिकोण:** 2023 में, उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने जल्लीकट्टू को तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरा के एक भाग के रूप में बरकरार रखा, इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व को स्वीकार किया।

Source: TH

मूसी नदी

समाचार में

- हैदराबाद, तेलंगाना में **मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को विश्व स्मारक कोष** (WMF) द्वारा प्रतिष्ठित **2025 विश्व स्मारक वॉच** में सम्मिलित किया गया है।

परिचय

- **2025 विश्व स्मारक निगरानी:** यह **विश्व स्मारक कोष (WMF) (न्यूयॉर्क स्थित गैर-लाभकारी संगठन)** द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण एवं प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियों के कारण खतरे में पड़ी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को संगठित करना है।
- **मूसी नदी:** यह नदी तेलंगाना के **रंगारेड्डी जिले में अनंतगिरी पहाड़ियों** से निकलती है। यह **कृष्णा नदी** की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है।
- यह नदी **उस्मानसागर और हिमायतसागर** जलाशयों में बहती है, जिनका निर्माण बाढ़ को नियंत्रित करने और हैदराबाद के लिए स्वच्छ जल के स्रोत के रूप में किया गया था।

Source: TH

हाइड्रोक्लाइमेट व्हिपलैश

समाचार में

- **लॉस एंजिल्स** में विनाशकारी जंगली आग दुर्लभ मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण लगी थी, जिन्हें **'हाइड्रोक्लाइमेट व्हिपलैश'** के नाम से जाना जाता है।

हाइड्रोक्लाइमेट व्हिपलैश और वैश्विक जलवायु पैटर्न

- **मौसम चक्रों में व्यवधान:** हाइड्रोक्लाइमेट व्हिपलैश के कारण अनियमित वर्षा पैटर्न बनते हैं, जिससे बेमौसम और अप्रत्याशित मौसम होता है।
  - नम मौसम में अत्यधिक वनस्पति वृद्धि होती है। अचानक सूखा पड़ने से वनस्पति सूख जाती है, जिससे वनाग्नि के लिए ईंधन बनता है।
- **जलवायु प्रवर्धन:** उष्ण वैश्विक तापमान वाष्पीकरण दर को बढ़ाता है, जिससे वर्षा एवं शुष्कता दोनों चरण तीव्र हो जाते हैं।

हाइड्रोक्लाइमेट व्हिपलैश के पीछे के कारक

- हाइड्रोक्लाइमेट व्हिपलैश प्राकृतिक और मानव-प्रेरित दोनों कारकों से प्रेरित है।

- वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन, जैसे कि **जेट स्ट्रीम एवं ENSO** जैसी महासागर धाराओं में परिवर्तन, और नमी को बनाये रखने वाली स्थलाकृति अत्यधिक वर्षा तथा सूखे की स्थिति उत्पन्न कर सकती है।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से वैश्विक तापन एवं शहरीकरण और वनों की कटाई जैसे भूमि-उपयोग में बदलाव सहित मानवीय गतिविधियाँ स्थानीय जल विज्ञान चक्रों को बाधित करके इन उतार-चढ़ावों को बढ़ाती हैं।

Source: DTE

आठवाँ वेतन आयोग

समाचार में

- केंद्र सरकार ने **आठवें वेतन आयोग** की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

वेतन आयोग का परिचय

- **उद्देश्य:** वेतन आयोग केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए वेतन, मुआवज़ा और भत्ते निर्धारित करता है।
  - महँगाई भत्ते (DA) और महँगाई राहत (DR) समायोजन के लिए सूत्र प्रस्तावित करना ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम किया जा सके।
  - वेतन आयोग की सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं।
- **समय-सीमा:** वेतन आयोग सामान्यतः प्रत्येक 10 वर्ष में गठित किए जाते हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन 7वें वेतन आयोग की अवधि 2025 में समाप्त होने से काफी पहले किया जा रहा है, ताकि समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
  - **न्यायमूर्ति ए.के. माथुर** की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था और वेतन मैट्रिक्स प्रस्तुत किया गया था; न्यूनतम: 18,000 रुपये/माह, अधिकतम: 2,50,000 रुपये/माह।
- **संरचना:** सामान्यतः एक सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में।

Source: TH

फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन – विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम (FTI-TTP)

सन्दर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) का उद्घाटन करेंगे।

परिचय

- **प्रथम लॉन्च:** 2024 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर।
- **नोडल एजेंसी:** गृह मंत्रालय के अंतर्गत आव्रजन ब्यूरो (The Bureau of Immigration)।
- **विशेषताएँ:**
  - पंजीकृत यात्री एयरपोर्ट के ई-गेट पर अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट स्कैन कर सकेंगे।

- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के पश्चात् गेट अपने आप खुल जाएँगे और इमिग्रेशन क्लीयरेंस मिल जाएगी।
- इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। प्रथम चरण में भारतीय नागरिक एवं OCI कार्डधारक सम्मिलित होंगे और दूसरे चरण में विदेशी यात्री सम्मिलित होंगे।
- इसे देश के 21 प्रमुख एयरपोर्ट पर लागू किया जाएगा।
- प्रथम चरण में यह सुविधा सात प्रमुख एयरपोर्ट- **मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद** से प्रारंभ की जा रही है।

Source: IE

मोटापे की नई परिभाषा(New Definition for Obesity)

सन्दर्भ

- चिकित्सा पत्रिका **द लैंसेट** के एक आयोग द्वारा मोटापे के निदान के लिए एक नई परिभाषा और विधि प्रस्तावित की गई है।
  - **लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी कमीशन** विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञताओं और देशों के 58 प्रमुख विशेषज्ञों का एक समूह है।

नई परिभाषा का परिचय

- यह अधिक वजन वाली श्रेणी को **प्रीक्लिनिकल** मोटापे नामक श्रेणी से परिवर्तित कर देता है।
  - यह वह श्रेणी है जिसमें व्यक्ति के शरीर में अतिरिक्त वसा होती है, परन्तु कोई बीमारी नहीं होती।
  - प्रीक्लिनिकल मोटापे को एक शारीरिक विशेषता के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन बीमारी के रूप में नहीं।
  - प्रीक्लिनिकल मोटापे के लिए जोखिम में कमी और नैदानिक मोटापे की प्रगति को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **निदान:** इसके लिए केवल BMI कट-ऑफ को पूरा करने के बजाय अतिरिक्त वसा के स्तर की पुष्टि और अंग कार्य के नैदानिक आकलन की आवश्यकता होगी।
- **नैदानिक मोटापा:** इसे एक पुरानी बीमारी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना अंग कार्यों में परिवर्तन होता है।

बॉडी मास इंडेक्स (BMI)

- यह **किलोग्राम (या पाउंड) में किसी व्यक्ति के वजन को मीटर (या फीट) में ऊँचाई के वर्ग से विभाजित** करके प्राप्त किया जाता है।
- उच्च BMI शरीर में अधिक मोटापे का संकेत दे सकता है।
  - BMI वजन श्रेणियों की जाँच करता है जो स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं, लेकिन यह किसी व्यक्ति के शरीर के मोटापे या स्वास्थ्य का निदान नहीं करता है।
- 1990 के दशक में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मोटापे के लिए आधिकारिक स्क्रीनिंग सूचकांक के रूप में मीट्रिक को अपनाने के पश्चात् यह चिकित्सकों के लिए प्रमुखता से उभरा।
  - अधिकांश वयस्कों के लिए, एक आदर्श BMI 18.5 से 24.9 की सीमा में है।

Source: IE

डेटा एंबेसी

समाचार में

- भारत डेटा एंबेसी स्थापित करने के लिए वभिन्न देशों के साथ चर्चा कर रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और डेटा संप्रभुता में एक नया आयाम जुड़ेगा।

डेटा एंबेसी क्या हैं ?

- डेटा एंबेसी सुरक्षित सुविधाएँ हैं, जहाँ देश किसी दूसरे देश के क्षेत्र में संप्रभु डेटा संगृहित कर सकते हैं, जबकि उस पर पूरा नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। वे प्रदान करते हैं:
  - **बैकअप और आकस्मिक भंडारण:** प्राकृतिक आपदाओं या भू-राजनीतिक संकटों के दौरान डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - **संचालन में स्वतंत्रता:** प्रत्येक डेटा दूतावास स्वतंत्र रूप से डेटा प्रबंधन और पहुँच नियंत्रण को संभालता है, जबकि मेजबान देश डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  - **नियामक लचीलापन:** देश स्थानीय डेटा विनियमों के अधीन हुए बिना विदेशों में डेटा संगृहित कर सकते हैं।
- भारत इन एंबेसी को रखने के लिए विशेष रणनीतिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसमें विभिन्न देशों के लिए संप्रभु डेटा संगृहित करने के लिए समर्पित डेटा केंद्र होंगे।
  - आंध्र प्रदेश, अपने उन्नत डेटा सेंटर बुनियादी ढाँचे के साथ, पहले डेटा एंबेसी की मेजबानी करने की संभावना है।

क्या आप जानते हैं?

- एस्टोनिया 2007 के साइबर हमले के बाद **लक्ज़मबर्ग** में डेटा दूतावास स्थापित करने वाला प्रथम देश था।

Source: LM

QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025

सन्दर्भ

- AI , डिजिटल एवं हरित प्रौद्योगिकियों सहित माँग वाले भविष्य के कौशल के लिए एक अग्रणी रोजगार बाजार के रूप में भारत की स्थिति को प्रथम QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में प्रकट किया गया।

परिचय

- लंदन स्थित क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) द्वारा जारी किया गया प्रथम फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, उभरती हुई रोजगार बाजार की माँगों को पूरा करने के लिए देशों की तत्परता का मूल्यांकन करता है।
- सूचकांक चार मुख्य क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है: कौशल फिट, शैक्षणिक तत्परता, कार्य का भविष्य एवं आर्थिक परिवर्तन।
- भारत की उत्कृष्ट सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, युवा जनसंख्या और बढ़ती स्टार्ट-अप संस्कृति देश को भविष्य के लिए तैयार कौशल में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करती है

कौशल सूचकांक में भारत का प्रदर्शन

सूचक	कौशल फ़िट(Skills Fit)	शैक्षणिक तत्परता(Academic Readiness)	कार्य का भविष्य (Future of Work)	आर्थिक परिवर्तन	समग्र
अंक/स्कोर	59.1	89.9	99.1	58.3	76.6
वैश्विक स्थिति	37th	26th	2nd	40th	25th

सुधार के अवसर

- **उद्योग सहयोग बढ़ाना:** उच्च शिक्षा संस्थानों और उद्योग की जरूरतों के मध्य अंतर को कम करना।
- **स्नातकों को माँग में रहने वाले कौशलयुक्त करना:** नियोक्ता की माँगों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए डिजिटल और AI पर ध्यान केंद्रित करना।
- **भविष्य-उन्मुख नवाचार और स्थिरता:** इस मीट्रिक में भारत का स्कोर कम है, जो सतत प्रथाओं और दूरदर्शी समाधानों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को दर्शाता है।

Source: AIR

ब्याज समतुल्यीकरण योजना (Interest Equalisation Scheme)

सन्दर्भ

- आशा है कि भारत का वाणिज्य मंत्रालय आगामी बजट में ब्याज समतुल्यीकरण योजना को पाँच वर्ष के लिए और बढ़ाने की माँग करेगा।

परिचय

- ब्याज समतुल्यकरण योजना (IES) 2015 में निर्यातकों को सब्सिडी वाले निर्यात ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी।
- प्रारंभ में पाँच वर्ष के लिए वैध, इस योजना को तब से विभिन्न बार बढ़ाया गया है, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान एक वर्ष का विस्तार भी सम्मिलित है।
- **कवरेज:** प्रारंभ में, इसमें लगभग 410 पहचाने गए टैरिफ लाइनों के गैर-MSME निर्यातकों और MSME क्षेत्र के सभी निर्यातकों को सम्मिलित किया गया था।
- **सब्सिडी दर:** यह योजना प्रदान करती है;
  - 410 चिन्हित टैरिफ लाइनों के व्यापारी और निर्माता निर्यातकों के लिए 2% ब्याज समतुल्यता लाभ।
  - सभी MSME निर्माता निर्यातकों के लिए 3% ब्याज समतुल्यता लाभ।
- **तंत्र:** निर्यात ऋण बैंकों द्वारा रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। सरकार लाभार्थियों से लिए गए कम ब्याज के लिए बैंकों को मुआवज़ा देती है।

Source: BL

SpaceX ने चंद्रमा की ओर दो चंद्र लैंडर प्रमोचन किया

सन्दर्भ

- SpaceX ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए दो निजी चंद्र लैंडर्स, **फायरफ्लाई एयरोस्पेस द्वारा ब्लू घोस्ट** और **जापान के आईस्पेस द्वारा रेजिलिएंस** को प्रमोचित किया है।

ब्लू घोस्ट का परिचय

- फायरफ्लाई एयरोस्पेस का ब्लू घोस्ट लैंडर नासा के **कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज (CLPS)** कार्यक्रम का भाग है।
- यह पहल नासा के **आर्टेमिस कार्यक्रम** का समर्थन करती है, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस ले जाना है। ब्लू घोस्ट **10 वैज्ञानिक पेलोड** ले जाएगा, जिसमें सम्मिलित हैं:
  - चंद्रमा की मृदा को एकत्रित करने के लिए एक वैक्यूम डिवाइस।
  - सतह के नीचे के तापमान को मापने के लिए एक ड्रिल।
  - चंद्रमा की धूल से उपकरणों को हानि पहुँचाने से रोकने के लिए एक उपकरण।

रेजिलिएंस का परिचय

- दूसरा पेलोड, रेजिलिएंस, **जापान के आईस्पेस (ispace)** द्वारा विकसित किया गया है।
- रेजिलिएंस **छह वैज्ञानिक पेलोड और एक छोटा रोवर** ले जाएगा जो चंद्रमा की मृदा के नमूने एकत्र करने में सक्षम है।
- इसका लक्ष्य चंद्रमा के निकटवर्ती भाग में उत्तर में **मैरे फ्रिगोरिस** पर उतरना है।

Source: TH

अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी

सन्दर्भ

- इसरो (ISRO) ने **अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग (SpaDeX)** के लिए उपग्रहों के एक युग्म को लेकर PSLV-C60 मिशन प्रक्षेपित किया, जिसका उद्देश्य कक्षीय मिलन और डॉकिंग (orbital rendezvous and docking) का प्रदर्शन करना ।

अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी

- डॉकिंग प्रौद्योगिकी घटकों को अलग-अलग प्रमोचन करके और उन्हें कक्षा में जोड़कर बड़े अंतरिक्ष मॉड्यूल की असेंबली की अनुमति देती है।
- यह अंतरग्रहीय मिशनों के लिए महत्त्वपूर्ण है जहाँ अंतरिक्ष यान वर्तमान प्रमोचन वाहनों की पेलोड क्षमता से अधिक हो सकता है।

महत्त्व

- **चंद्रयान-4 मून सैंपल** वापसी मिशन उन्नत अन्वेषण मिशनों के लिए डॉकिंग क्षमताओं के संभावित अनुप्रयोग का उदाहरण है।

- ISRO इस दशक के अंत में '**भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन' (BAS)** को प्रमोचन करने की योजना बना रहा है, जिसे डॉकिंग प्रौद्योगिकी में प्रगति से अत्यंत लाभ मिलेगा।

Source: TH

स्वामित्व (SVAMITVA) योजना

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 जनवरी 2025 को स्वामित्व संपत्ति कार्ड के ई-वितरण की अध्यक्षता करेंगे।

स्वामित्व योजना

- **स्वामित्व योजना (ग्रामीण जनसंख्या का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण)** 24 अप्रैल, 2020 (**राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस**) को प्रारंभ की गई थी।
- यह **पंचायती राज मंत्रालय** के अंतर्गत एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करके कानूनी स्वामित्व रिकॉर्ड प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण शासन और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले।

योजना का कार्यान्वयन

- **सटीक भूमि सीमांकन:** यह योजना **ड्रोन तकनीक और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)** उपकरणों का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में **भूमि पार्सल का सटीक सीमांकन** सुनिश्चित करती है, जिससे भूमि सीमाओं पर विवाद कम होते हैं।
- **संपत्ति स्वामित्व अधिकार:** यह स्वामित्व संपत्ति कार्ड के माध्यम से अधिकारों का रिकॉर्ड (ROR) प्रदान करता है, जिससे बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों (जनसंख्या) में संपत्ति के मालिकों को कानूनी मान्यता मिलती है।

Source: PIB

न्यू ग्लेन रॉकेट

समाचार में

- **ब्लू ओरिजिन** ने अपने प्रथम मिशन (NG-1) पर **न्यू ग्लेन रॉकेट** का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
    - ब्लू ओरिजिन एक निजी अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी है जिसकी स्थापना 2000 में **जेफ बेजोस** ने की थी।

NG-1 मिशन का परिचय

- यह मिशन "**ब्लू रिंग पाथफाइंडर**" परीक्षण उपग्रह को उसकी इच्छित कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात करेगा।
    - साथ ही, यह अटलांटिक महासागर में एक ड्रोन जहाज पर रॉकेट के बूस्टर चरण को उतारकर इसकी पुन: प्रयोज्यता का प्रदर्शन करेगा। लॉन्च लागत को कम करने एवं अंतरिक्ष अन्वेषण को अधिक किफायती और सतत बनाने के लिए पुन: प्रयोज्यता महत्त्वपूर्ण है।
- यह वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान क्षेत्र में SpaceX and ULA जैसे प्रतिस्पर्धियों के विरुद्ध ब्लू ओरिजिन की स्थिति को सुदृढ़ करेगा।

Source: IE

■■■■